



वन्यविय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्राक संख्या 6147 / 12-1 दिनांक 4-6-2019

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (एनडीवीवी) लोडनिवीवी,
रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर।

विषय-

जनपद-ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी 239 (सिरसामोड) कैंप से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 14.858 हे० वन भूमि का गैर यानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-

(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/26820/2017)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2969/FP/UK/ROAD/26820/2017 दिनांक 03.05.2019, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), सुभाष रोड, देहरादून का पत्रांक 8वीं / यू०सी०पी० / 06 / 125 / 2018 / एफ०सी० / 110 दिनांक 24.04.2019 एवं आपका पत्रांक 197 / 7 याता दिनांक 30.05.2019।

नहोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियों CA Cost, NPV etc. वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जाना है के क्रम में नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में लिखा गया है। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० के डिमाण्ड नोट का विवरण निम्न प्रकार है-

विवरण	ईको-क्लास श्रेणी	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे० में	एन०पी०वी० की दर प्रति हे० (रु० में)	एन०पी०वी० की कुल धनराशि (रु० में)
एन०पी०वी० की धनराशि	I	14.858	9,39,000.00	1,39,49,784.00

विवरण	क्षेत्रफल हे० में	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं रख-रखाव सहित कुल धनराशि (रु० में)
क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि	15.00	55,72,900.00

उक्त डिमाण्ड नोट को ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें। ऑनलाईन चालान जनरेट होने के उपरान्त देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें। क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का न्यूट्रेशन शीघ्र वन विभाग के पक्ष में करने का कष्ट करें तथा भारत सरकार के अन्य समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक

उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

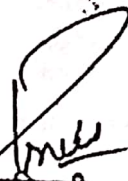
(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

परियोजना का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किराी 239 (शिरसा मोड़) कैम्प रोड से शक्तिमार्ग तक मोटर मार्ग का निर्माण।

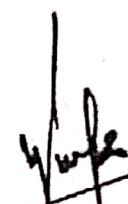
संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निर्माण खण्ड ए0डी0वी0, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंह नगर द्वारा आवेदित भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	1
2. हरियाली का घनत्व	-	0.50 - 0.60
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है०	-	939000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	14.856 है०
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	-	13949784.00


वन क्षेत्राधिकारी
बाराकोली वन क्षेत्र, सितारगंज
उत्तराखण्ड प्रभाग, हल्द्वानी


उप प्रभारी वन अधिकारी
सितारगंज
उत्तराखण्ड प्रभाग हल्द्वानी.


उप प्रभारी वन अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रभाग हल्द्वानी.

जनपद उधमसिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग २१०-७४ को २३० मीमी० (सिरसागोड़) कैम्प रोड़ से शक्ति फार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए अतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद हरिद्वार के आम दुधलाययालवाला उर्पा टांटवाला परगना गजीयाबाद राहसील व जिला हरिद्वार में १५.०० है० पर होने वाले व्यय का वर्षवार विवरण का प्रस्तावित प्राकलन (वर्ष २०१८-१९ की प्रचलित विभागीय दरों के आधार पर)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई (है०)	दर/है०	योग
१.	अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)	१५.००	१५५५९४.००	२३३९१०.००
२.	वृक्षारोपण कार्य (द्वितीय वर्ष)	१५.००	४९५२०.००	७४२८००.००
३.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)	१५.००	१९८२९.००	२९७४३५.००
४.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (चतुर्थ वर्ष)	१५.००	१९८२९.००	२९७४३५.००
५.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (पंचम वर्ष)	१५.००	१९८२९.००	२९७४३५.००
६.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (षष्ठम् वर्ष)	१५.००	२०८६४.००	३१२९६०.००
७.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (सप्तम वर्ष)	१५.००	२०८६४.००	३१२९६०.००
८.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (अष्टम वर्ष)	१५.००	२०८६४.००	३१२९६०.००
९.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (नवम वर्ष)	१५.००	२२१४४.००	३३२१६०.००
१०.	वृक्षारोपण अनुरक्षण (दशम वर्ष)	१५.००	२२१९४.००	३३२९१०.००
			योग	५५७२९६५.००
			या	५५,७२,९००.००

(रु० पचपन लाख सहत्तर हजार नौ सौ मात्र)

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार